<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, कोटा (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी	:	सत्यनारायण व्यास
आपराधिक विविध प्रकरण संख्या	:	1317/2026
एफ.आई.आर.संख्या	:	223/2026
अंतर्गत धारा	:	4/25 आयुध अधिनियम
पुलिस थाना	:	महावीर नगर, कोटा शहर

निहाल सिंह उर्फ बाटा पुत्र मुरारी लाल, निवासी बीड के बालाजी, बापू नगर कच्ची बस्ती, बालिता रोड़, कुन्हाड़ी, कोटा (राजस्थान)

.....प्रार्थी अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान सरकार, जरिये लोक अभियोजक, कोटा

.....विपक्षी

जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित:-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री सतविन्दर सिंह, प्रार्थी अभियुक्त की ओर से,
2. विद्वान लोक अभियोजक श्री मनोज पुरी, राज्य सरकार की ओर से।

<u>आदेश</u> **दिनांक: 08.06.2026**

1. प्रार्थी अभियुक्त निहाल सिंह उर्फ बाटा की ओर से जमानत का यह प्रार्थना-पत्र उसके अधिवक्ता ने पेश किया। नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली आहूत कर अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने बहस के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए पक्षकथन किया है कि प्रार्थी अभियुक्त को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी का उक्त प्रकरण से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है, मात्र प्रार्थी को रंजिशवश झूठे प्रकरण के तहत फंसाया गया है, प्रार्थी सर्वथा निर्दोष है। प्रकरण के अन्वेषण में काफी समय लगने की संभावना है तथा प्रार्थी से कोई बरामदगी करना शेष नहीं है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है अपने परिवार में अकेला कमाने वाला सदस्य है, इस कारण प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा। प्रार्थी अभियुक्त से किसी प्रकार का अनुसंधान करना शेष नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त कोटा जिले का निवासी है, जिसके फरार होने एवं गवाहान को टेम्परविद किए जाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से पूर्व में इस आशय का जमानत आवेदन-पत्र इस न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायायल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही विचाराधीन है। उन्होंने उक्त

तर्कों के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी अभियुक्त के जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्रार्थी अभियुक्त के आधिपत्य से बिना अनुज्ञा-पत्र के एक लोहे की धारदार छुर्री बरामद हुई है, जो गंभीर अपराध है। अतः प्रार्थी अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 01.06.2026 को प्रदीप कुमार सहायक उप निरीक्षक ने पुलिस थाना महावीर नगर, कोटा शहर पर एक फर्द चैकिंग व जब्ती इस आशय की पेश की कि वह मय जाब्ता मय अनुसंधान बॉक्स के वास्ते चैकिंग गुण्डा बदमाशान व अवैध कार्यों की रोकथाम हेतु समय 1.27 पीएम पर थाने से रवाना होकर गश्त इलाका करते हुए युआईटी ऑडिटोरियम के पीछे नाले पर बालाजी मार्केट पहुंचा, जहां पर चलते हुए राहगिर की सूचना के आधार पर बालाजी मार्केट दुकान की आड़ में राहगीर द्वारा बताए हुलिये का व्यक्ति दिखायी दिया, जो जाब्त को बावर्दी देखकर जाने लगा, जिसे हमराही जाब्ते की मदद से रोककर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम निहाल सिंह उर्फ बाटा होना बताया, जिसकी नियमानुसार तलाशी ली गयी तो उसकी पहनी हुई पेंट की दांहिनी जेब में एक लोहे की तेज धारदार छुर्री मिली, जिसके संबंध में अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। फर्द चेकिंग व जब्ती तैयार की गयी। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया.....इत्यादि। उक्त फर्द चैकिंग एवं जब्ती के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 223/2026 अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम में संस्थित किया गया जो अन्वेषणाधीन है।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतः Jugal Vs State of Rajasthan S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13513/2020 की अनुपालना में अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में प्रकरण संस्थित हुए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैंः-

क्रम संख्या	प्रकरण संख्या	धारा	पुलिस थाना	सी.एस. नंबर	विवरण
1	69/23	379, 34 IPC	कोतवाली, बांरा	284/2023	पेंडिंग
2	20/26	4/25 Arms Act	कैथूनीपोल	13/2026	पेंडिंग

6. प्रार्थी अभियुक्त के उपरोक्त आपराधिक अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त 2 प्रकरण संस्थित हुए हैं जो लंबित होना अंकित है। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि प्रार्थी अभियुक्त के आधिपत्य से प्रकरण में एक तेज धारदार छुर्री बरामद होना बताया गया है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 01.06.2026 से पुलिस एवं न्यायिक

अभिरक्षा में है, जिससे अब कोई अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध का आरोप है, जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे मत में इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. निष्कर्षतः प्रार्थी अभियुक्त निहाल सिंह उर्फ बाटा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से विचारण के दौरान अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में व भविष्य में किसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त के साथ राशि 30 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं राशि 15-15 हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभू (प्रतिभूदाता के आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की दो-दो फोटो प्रति सहित), विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दिया जावे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे।

8. इस जमानत आदेश में किये गये विवेचन का प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP(Criminal) No. 4/2021 In Re Policy Strategy for grant of Bail & SLP(Cri.) No. 529/2021 वाले मामले में दिये गये आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में इस जमानत आदेश की एक प्रति अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह कोटा को भी जरिये ई-मेल प्रेषित की जावे।

(सत्यनारायण व्यास)

9. आदेश आज दिनांक 08.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण व्यास)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.08 18:11:40 IST